रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3572] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 19, 1940
No. 3572] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का.आ. 4721(अ).— पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार जनता की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित में अथवा ई-मेल पते gyanesh.bharti@ias.nic.in अथवा sharath.kr@gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना का.आ. सं. 1533 (अ), तारीख 15 सितम्बर, 2006 और इसके बाद के संशोधनों में उल्लिखित परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए पर्यावरणीय पूर्वानुमति की अपेक्षा अधिदेशित की है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने की इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि परियोजनाओं

तथा कार्यकलापों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की समीक्षा हो, उनका अध्ययन किया जाए और परियोजना के कार्यान्वयन में उपशमन उपाय किए जाएं ताकि परियोजनाओं और कार्यकलापों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से बचा जा सके अथवा उन्हें न्यूनतम किया जा सके;

जबकि, केन्द्रीय सरकार में विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों और राज्यों में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, जिलों में जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के मूल्यांकन और सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण, पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के रूप में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के साथ पर्यावरणीय पूर्वानुमति प्रदान करता है;

जबकि, प्रकिया में परियोजना प्रस्तावक का दायित्व है कि पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों पर अनुपालन की छमाही स्थिति प्रस्तुत करे, जिसके अनुपालन की जांच और प्रमाणीकरण भी मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है;

जबकि श्रेणी 'क' की परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृति वाली परियोजनाओं तथा कार्यकलापों की पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के कार्यान्वयन के अनुपालन की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं के लिए जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण उत्तरदायी है, केन्द्रीय सरकार, मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध की जाने वाली राष्ट्र स्तरीय विख्यात और सक्षम सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की आकस्मिक तृतीय पक्षकार अनुपालन निगरानी की संकल्पना प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है;

यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के पैरा 10 के उप पैरा (iv) के पश्चात निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाएगा;

"10 (v) उपर्युक्त उपबंधों के होते हुए भी, मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं तथा कार्यकलापों की पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरकारी संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, ईएसी द्वारा मूल्यांकित पर्यावरण प्रबंधन योजना, पर्यावरण स्वीकृति के निबंधनों एवं शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य उपबंधों में उपलब्ध आधारभूत सूचना के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपालन की निगरानी की जाएगी ।"

[सं. 22-48/2017-आईए-III]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल नियम का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

1. का.आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067 (अ), तारीख 01 दिसम्बर, 2009;
4. का.आ. 695 (अ), तारीख 04 अप्रैल, 2011;
5. का.आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012;
7. का.आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;

10. का.आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013;
12. का.आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का.आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601 (अ), तारीख 07 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600 (अ), तारीख 09 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014;
18. का.आ. 382 (अ), तारीख 03 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का.आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2015;
26. का.आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648 (अ), तारीख 03 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269, (अ), तारीख 01 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016;
30. का.आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवम्बर, 2016;
31. का.आ. 3999 (अ), तारीख 09 दिसम्बर, 2016;
32. का.आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2016; और
33. का.आ. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

S.O. 4721(E).— The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for further amendment in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date of publication of said notification in the Official Gazette. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indra Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003, or electronically at e-mail address: gyanesh.bharti@ias.nic.in or sharath.kr@gov.in

Draft Notification

Whereas, the Central Government has mandated the requirement of prior environmental clearance for the projects and activities mentioned in the notification S.O. No 1533 (E) dated 15th September 2006 and its subsequent amendments. This process of preparation of environment impact assessment report and environment management plan ensures that the adverse environmental impacts of the projects and activities are assessed, studied and mitigation measures are taken in implementation of the project to avoid or minimize the adverse environmental impacts of the project and activities;

Whereas, based on the appraisal and recommendations of the Expert Appraisal Committees in the Central Government and State Level Expert Appraisal Committees in the States, District Environment Impact Assessment Authority in the Districts, the authority grants prior environmental clearance with stipulated environmental safeguards in the form of environmental clearance conditions;

Whereas, the process obligates the project proponent to file six-monthly compliance status against the environmental clearance conditions, compliance of which is also checked and certified by the Regional Offices of the Ministry;

Whereas, to improve the compliance status of the implementation of the environmental clearance conditions of the projects and activities granted environmental clearance by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the projects of Category A, the State Environment Impact Assessment Authority and for the projects of Category B, the District Environment Impact Assessment Authority, the Central Government proposes to introduce the concept of randomised third party compliance monitoring of the environment clearance conditions through national level reputed and competent government institutions to be empanelled by the Ministry;

The following shall be inserted after sub para (iv) of para 10 of the Environment Impact Assessment Notification, 2006 as amended

"10(v) notwithstanding the above provisions, the ministry will empanel government institutions of national repute for carrying out compliance monitoring of Environment Clearance conditions of projects and activities. The compliance monitoring will be done *inter-alia* against the baseline information available in the Environmental Impact Assessment report, Environmental Management Plan appraised by EAC, terms and conditions of the Environmental Clearance as well as other provisions as may be specified by the ministry from time to time."

[No. 22-48/2017-IA.III

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;

15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd. March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
33. S.O. 3611 (E) dated the 25th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.15 09:17:58 +05'30'